

परिशिष्ट  
[24/3/2021]

प्रश्न सं. [क. 2034] क्रमांक 2034

तकनीकी शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश  
सतपुरा भवन भोपाल 462004

क्रमांक/यो/05/एस/2020/192

/भोपाल दिनांक 19/02/2020

प्रति,

आयुक्त,  
चिकित्सा शिक्षा संचालनालय,  
छठी मंजिल, सतपुरा भवन,  
भोपाल।

विषय :-

अनुसूचित जाति/जनजाति की कन्याओं के लिये फीस की प्रतिपूर्ति की तरह अ  
वर्ग की कन्याओं की फीस की प्रतिपूर्ति हेतु।

--00--

उपरोक्त विषयात्मक लेख है कि वचन पत्र की बिन्दु क्रमांक 24.2 में उल्लिखित इजिनियरिंग विधि एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिये एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति कन्याओं की तरह अन्य वर्गों की कन्याओं, जिनके परिवार की आय 10.00 लाख से कम उनकी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी, उक्त संवध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था। शासन द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों में आवेदन कन्याओं की जानकारी एवं देय शिक्षा शुल्क (वित्तीय भार) की जानकारी चाही है।

कृपया चिकित्सा शिक्षा संचालनालय से संबंधित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत कन्याओं की जानकारी एवं वित्तीय भार की जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि शासन द्वारा वांछित जानकारी विभाग को प्रेषित की जा सके।

क्रमांक/यो/05/एस/2020/

प्रतिलिपि, प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा कौशल, विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल।

कार्यालय प्रमुख  
संचालनालय तकनीकी शिक्षा म.प्र.  
/भोपाल दिनांक...../02/2020

संचालनालय तकनीकी शिक्षा म.प्र.  
क्रमांक 8119  
25-6-20  
Section Officer

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश  
चिकित्सा शिक्षा

कार्यालय प्रमुख  
संचालनालय तकनीकी शिक्षा म.प्र.  
दिनांक 10/3/21